ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0030713

Date of order of proceeding	***Order of proceeding with Signature of presiding officer*** ***मेसर्स सलूजा इंटर प्राईजेस विरूद्ध कार्यपालन यंत्री, मप्रपक्षेविविकलि, बड़वाह***	***Signature of parties or pleaders where necessary***
26.09.13	(1) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र की शिकायत क्रमांक W0217311 मेसर्स सलूजा इंटर प्राईजेस विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 08.02.2012 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । (2) उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अनावेदक द्वारा फोरम के आदेश का पालन किया गया है और उसे नियमानुसार छूट भी प्रदान की गई है । (3) दिनांक 24.09.13 को सुनवाई किए जाने पर यह पाया गया कि अभ्यावेदन के पूर्व के आदेश पत्र फाईल में संलग्न नहीं हैं उन्हें तलाश कर संलग्न किया जाए । (4) उक्त दिनांक को उपभोक्ता ने व्यक्त किया कि अनावेदक ने दिनांक 17.08.13 को जो पत्र लेख किया था उसके अनुसार छूट प्रदान नहीं की गई थी तथा ग्रामीण टैरिफ के अनुसार टैरिफ की गणना नहीं की गई थी, परन्तु संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर उसे संशोधित बिल जारी किया गया है और उक्त बिल में उसे छूट भी दी गई है तथा ग्रामीण टैरिफ के अनुसार टैरिफ निर्धारित की गई है । (5) अनावेदक की ओर से पुनः विपरीत कार्य न किया जाए इसके कारण उसने विद्युत लोकपाल से आदेश अपेक्षित किया है । (6) उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण फोरम द्वारा किया गया है फोरम के आदेश को अनावेदक की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा फोरम के आदेश के अनुसरण में उसके द्वारा कार्यवाही की गई है । इससे उपभोक्ता संतुष्ठ है, ऐसी स्थिति में अन्य कोई नवीन आदेश अपेक्षित नहीं है । उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता तब तक फोरम के प्रश्नगत् आदेश दिनांक 08.02.12 के अनुसरण में कार्यवाही की जाए । (7) सन्देह का निराकरण करने के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नवीन परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में शिकायत होने पर उपभोक्ता पुनः अपनी शिकायत नवीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होगा । (8) आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	